मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 1999 (माघ 23, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नही किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 43 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) 58-97-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 30 जून, 1998 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन धूत, कुंवर विजय शाह, सुधाकर राव बापट, सदस्य, शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से सोयाबीन खरीदी की व्यवस्था न किए जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सुनीलम्, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ओला वृष्टि से फसलों की हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री बाबूलाल गौर, नरेन्द्र सिंह तोमर, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम सलैया टोला में शिक्षक की पिटाई से दो छात्रों की मौत होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की राहतगढ़ कृषि उपज मंडी में हो रही अनियमितता की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के कृषकों को तवा नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के कटघोरा में अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, शासन द्वारा शासकीय भुगतानों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर स्थित फूटीवार बांध से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल में पीलिया व आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, श्री कमल पटेल, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम सावलमेंढा स्थित आदिवासी छात्रावास में छात्रों की पिटाई की जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री लक्ष्मणसिंह गौड़, सदस्य, पूर्वी निमाड़ जिले में भूगर्भीय धमाकों से दहशत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश की अनेक जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदी रखे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री रमेश सक्सेना, नरेन्द्र सिंह तोमर, करणसिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के इछावर में नसबंदी आपरेशन के दौरान एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 29-गुना से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवप्रताप सिंह को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 1999 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि शासन द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत आरक्षक, प्रधान आरक्षक एवं सहायक पुलिस निरीक्षक श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ न किये जाने हेतु वांछित आदेश/नियम लागू किया जाय."

(2) श्री महेश तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. " सदन का यह मत है कि कृषि के लिये उपयोग हेतु बने बांध व नहरों के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु ही प्राथमिकता से किया जाय, उद्योगों के लिये इनके उपयोग पर रोक लगाकर, उन्हें स्वतंत्र जल स्रोत बनाने की योजना को प्रोत्साहन दिया जाय."

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा " सदन का यह मत है कि ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ही किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 फरवरी, 1999